

194



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-छतरपुर

101-291-II-16

- 1- उमेश गोस्वामी पुत्र श्री मदन मोहन गोस्वामी  
निवासी - अजय दौसाज के बगल में सागर  
रोड, छतरपुर (म.प्र.)
- 2- रमेश गोस्वामी पुत्र श्री मदन मोहन गोस्वामी  
निवासी- हनुमान टोरिया जवाहर रोड, छतरपुर  
(म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

सुरेश पुत्र श्री मदन मोहन गोस्वामी  
निवासी - बूदौर तहसील व जिला छतरपुर  
(म.प्र.)

..... अनावेदक

22.4.16  
27-4-16

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक  
130/अ-6/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 के  
विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

2/4/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1291-दो/2018

जिला छतरपुर

उमेश विरूद्ध सुरेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 130/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>20/2/2019</p>